# Hitch an Usiya The Gazette of India

असाधाररा EXTRAGRAINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (b)

पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORI1Y



च्या देख

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1994/पोष 25, 1915 No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 1994/PAUSA 25, 1915

> मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)

> > **ऋधिस्**चना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1994

सा.का.नि. 22(अ) :—तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 (1993 का 45) की धारा—1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा जनवरी 1994 के पन्द्रहवें दिन को उस तारीख के रूप में निश्चित करती है, जब उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं. फा. 9-8/93 डैस्क (यू)] डी.एस. मुखोपाध्याय, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (Department of Education)

#### NOTIFICATION

New Delhi the 15th January, 1994

G.S.R. 22(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Tezpur University Act, 1993 (45 of 1993), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 1994 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 9-8]93-Desk(U)]

D. S. MUKHOPADHYAY, Jt. Secy.

## श्रधिसभना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1994

सा.का.नि. 23(श्र):--श्रामाम विश्वविद्यालय श्रीविनियम, 1939(1939 का 23) की धारा -1 की उपधारा (2) हारा प्रदत्त शिवायों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार एतब्हारा जनवरी 1994 के पन्द्रहवें दिन को उस तारीख के रूप में निश्चित करती है, जब उक्त श्रीधिनियम लागू होगा।

[फा.सं. 9-8/93 डैस्क (यू)] की. एस. मुखोपाध्याय, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi the 15th January, 1994

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Assam University Act, 1989 (23 of 1989), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 1994 as the date on which the siad Act shall come into force.

[No. F. 9-8|93-Desk(U)] D. S. MUKHOPADHYAY, Jt. Secy.